न्यायालय श्रीमान ए0सी0ई0एम0 साहब, नगर (डीग) राज0

शिवानी——वादिया बनाम हरकिशन वगै0—प्रतिवादीगण

दावा

श्रीमानजी,

उपरौक्त उनवानी प्रकरण में आगामी पेशी 11/12/2024 नियत है जिसमें निवेदन है कि प्रतिवादी हरकिशन द्वारा आदित्य पुत्र राजवीर के पक्ष में दान पत्र करा दिया है जिस कारण प्रकरण की नौईयत परिवर्तित हो चुकी है, इसी वजह से अब मै वादिया उक्त प्रकरण को विड्रो करा पुनः वाद पत्र पेश करने की इजाजत चाहती हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण को मौजूदा स्टेज पर ही विड्रो फरमाया जाकर पुनः वाद पत्र पेश करने की इजाजत प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी

पवन कुमार

शिवानी पुत्री सुरेश (मृतक) माता कृष्णा पत्नि सुरेश, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सैमला खुर्द, तहसील नगर उप तहसील जालूकी नाबालिग हाल निवासी टिहली, तहसील तिजारा जिला खैरथल वली सरपरस्त माता स्वयं पवन पुत्र महेन्द्र, जाति गुर्जर, निवासी तहसील तिजारा जिला खैरथल, प्रांत राज0 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

शिवानी बनाम हरकिशन दावा 63/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/24	वकील वादीया उप०, एवं ऐडवोकेट ... और वकील श्री अनिल कु. गोयल उप०। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वास्ते प्रतिवादीगण को तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग) राज.	
11/12/24	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/12/24 को पेश हो।	
22/12/24	आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई, वादी ने मय वकील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी हरकिशन द्वारा आदित्य पुत्र राजवीर के पक्ष में दान पत्र करा दिया गया है, जिस कारण प्रकरण की मौजूदा परिस्थिति हो चुकी है, अतः मौजूदा स्थिति में वाद को विड्रो किया जाकर पुनः वाद पत्र पेश करने की इजाजत प्रदान की जावें। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में यदि वादी नया दावा/प्रार्थना पत्र पेश करना चाहेंगे तो भविष्य में अनुमत होगा। चूंकि विचाराधीन दावा विड्रो किये जाने से खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	पवन कुमार हाजिर

सदस्य
पीठ सहायक तालुका विधिक सेवा समिति नगर (भरतपुर)

पीठ सहायक तालुका विधिक सेवा समिति नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Reader
250 ... द्वारा
...
20/11/24

2रु. Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान ए.सी.जे.एम. साहब नगर (डीग)(राज.
==

शिवानी उम्र 12 साल पुत्री सुरेश (मृतक) माता कृष्णा पत्नि सुरेश (मृतक) जाति गूजर निवासी ग्राम सेमला खुर्द तहसील नगर उपतहसील जालूकी जिला डीग) -नाबालिग हाल निवासी टिहली तहसील तिजारा जिला खैरथल बली सरपरस्त मामा स्वंय पवन उम्र 30 साल पुत्र महेन्द्र जाति गूजर निवासी टिहली तहसील तिजारा जिला खैरथल (राज. - वादीया

बनाम

1- हरकिशन पुत्र बदलेराम जाति गूजर निवासी ग्राम सेमला खुर्द तहसील नगर ।

2- कोकली पत्नि रामचन्द

3- चतरसिंह पुत्र बदलेराम) जाति गूजर निवासी ग्राम सेमली खुर्द तहसील नगर

4- चरनसिंह पुत्र बदलेराम)

5- दौलतराम पुत्र रिषिचरन जाति गूजर निवासी चिरावल माली तहसील नगर हाल आबाद अलवर जिला अलवर (राज.

6- निहालसिंह पुत्र बदलेराम

7- माया पुत्री बदलेराम

8- केदारी पत्नि भोबल

9- केलाश पुत्र धान्नी

10- बिज्जो)

11- महेन्द्र) पुत्रान कालू जाति गूजर निवासी सेमला खुर्द तहसील नगर

12- बाबूलाल)

13- अजीराम)

14- गोपाली पुत्री लज्जी

15- जगन पुत्र धान्नी

16- लालाराम)

17- रामस्वरुप) पुत्रान दुर्जन

18- कमल)

19- दरबी पुत्री गंगासहाय

20- प्रकाश पुत्र धान्नी

- 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर (डीग)

शिवानी - वादीया बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

- 2 - दावा

21- प्रभाती पुत्र कजोडी

22- बद्टा पुत्र धान्नी

23- बुद्धदो पत्नि काडूराम

24- भोबल पुत्र लग्गी

25- रजना पत्नि अजीराम

26- रमला पुत्र भागवत

27- राधो पुत्र भागवत

28- रामनाथ/ कजोडी

29- शिवलाल पुत्र नत्थी

30- सुखान पुत्र बल्ला

31- समयसिंह पुत्र कन्हीराम

32= सेवाराम पुत्र रमेश

33- सोदान पुत्र रामसिंह

34- हरेत पुत्र लग्गी,

35- हरप्रसाद पुत्र कजोडी

36- जगराम पुत्र कबूल

37- परसादी पुत्र रोशन

38- [illegible]

39" भोली पुत्र सोनपाल

40- रमन पुत्र कबूल

41- हुकम सरवन

42- हरसुख पुत्र रोशन

43- हरवीर पुत्र रोशन

44- जगराम पुत्र कबूल

45- केदार पुत्र कल्लू

46- कन्हीराम पुत्र लखमी

47- लेखराज }

48- केदार } पिसरान कालू

49- बटी }

50- गुड्डीदेवी [illegible] पत्नि लेखराज

51- गोपाली पुत्र लग्गी

कुमार

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर

शिवानी - वादनी बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

 दावा

52- घीसा पुत्र बल्ला
53- रामजीत } पुत्रान छीतर
54- ओमकार }
55- छोटर पत्नि गिराज
56- हरचन्द } पुत्रान जंगली
57- हरभान }
58- प्रहलाद } पुत्रान जंगली
59- भरती }
60- भरती } पुत्रान हरचन्द
61- प्रहलाद }
62- ब्रहमोहन पुत्र हरभान
63- पप्पी पुत्र हरभान
64- जवाहर पुत्र हरिसिंह
65- दीना पुत्र हरीसिंह
66- नन्नुआ ~~[illegible] आबन्द कास्त~~ पु0 रामदयाल
67- बड्डे ~~आबन्द कास्त~~ पु0 रामलाल
68- बाबूलाल पुत्र हरिसिंह
69- भोबल पुत्र रूग्गी
70- मुख्खी ~~बेवा~~ गिराज
71- रामलाल } पुत्रान मंगल
72- समयसिंह / उर्फ भल्ला }
73- ~~[illegible]~~ मेंडू पु0 नत्थी
74- गजेन्द्र पुत्र मेंडू
75- रामनाथ पुत्र कजोडी
76- ~~श्री~~ शिवलाल पुत्र नत्थी
77- सुक्कन पुत्र बल्ला
78- समयसिंह पुत्र कन्हीराम
79- सेवाराम पुत्र रेमेशा
80- सोदान पुत्र रामसिंह
81- हरेत पुत्र रूग्गी

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर (डीग)

शिवानी - वादीया बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

- 4 - दावा

82- हरप्रसाद पुत्र कजोडी

83- रूगन पुत्र हरिसिंह

84- रूपी पुत्र गिरांज

85- रामनाथ पुत्र कजोडी

86- रामबक्श पुत्र सुक्का

87- लखानसिंह पुत्र हरिसिंह

88- बसन्ती पुत्री सुकखा

89- श्यामलाल उर्फ बन्टी पुत्र कालू

90- शिवराम पुत्र नत्थी

91- सुखिया पुत्री गिरांज

92- सम्पत्ति पुत्री सुक्का

93- सोदान पुत्र रामसिंह

94- सोना पुत्री सुम्का

95- कमल पुत्र दुर्जन

96- किशनप्यारी पत्नि गिरांज

97- पूरन पुत्र बल्ला

98- मुक्ति पत्नि सीकसन

99- शशिशशी पुत्री राजेन्द्र

100- सेवाराम पुत्र रमेश

101- जहानसिंह पुत्र भीमसिंह

102- लवकुश पुत्र भीमसिंह

103- वीरेन्द्रसिंह पुत्र भीमसिंह

104- अज्जी पुत्री रोशन

105- अतरी पुत्री रोशन

106- मुकुट पुत्री कबूल

107- महारानी पुत्री रोशन

108- रामवती पत्नि कबूल

109- हरभोजी पुत्री रोशन

मार 110- हरकत पुत्री कबूल

111- कन्हैयालाल पुत्र लखामी,

जाति गूजर निवासी सेमला खुर्द तहसील नगर (डीग) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर

शिवानी - वादीया बनाम हरकिशन वगै.- प्रतिवादीगण

दावा

112- श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नगर

113- सब रजिस्ट्रार साहब उपतहसील जालूकी तहसील नगर ।

- फोरमल प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु

उद्घोषणा एवं विभाजन इस आशय का कि हाल आराजी खसरा नबरान 32/0.39, 33/0.39, 231/0.42, 237/0.65, 245/0.10, 26/0.22, 28/0.08, 29/0.07, 30/0.03, 31/0.02, 85/0.09, 78/0.[illegible] /0.48, 565/1.88, 51/0.30, 52/0.30, 235/0.06, 236/0.09, 322/0.38, 230/0.15, 1/0.03, 10/0.25, 118/0.47, 154/1.00 175/0.85, 176/1.41, 176/375/0.04, 176/376/0.05, 241/0.09, [illegible] 214/0.20, 92/0.24, 82/0.75, 83/0.72, 93/0.36, 95/0.41, 401/0.69, /0.04, 402/69/0.08, 36/0.54, 100/0.26, 101/0.09 102/0.19, 159/0.03, 160/0.08, 177/0.41, 178/0.43, 220/0.03, 259/0.13, 260/0.06, 261/0.15, 64/0.72, 65/0.33, 66/0.24, 103/0.60बाके ग्राम सेमला खुर्द तहसील नगर जिला डीग पर प्रतिवादी नं.1 हरकिशन के हिस्से में से वादीया को 1/3 हिस्से पर खातेदार, घोषित कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन करते हुये अलग-अलग कुरा कायम कर अलग-खाता व अलग लगा: लगान कायम किया जावे । एवं जब तक पक्षकारों का मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा नही हो जाता तब तक पक्षकारों में से हरिकिशन अपने हिस्से को कही रहन, बय, मुन्तकिल नही करें व वादीया को बेदखल नही करें, व ऐसा कोई कार्य नही करें जिससे वादीया के हक हकूक जायल हो । राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, [illegible] टेनेन्सी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमानजी,

वाद वादीया निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

कुमार

1- यह है कि उभय पक्षकारान से वादीया शिवानी नाबालिग है जिसकी ओर से उसके मामा खुद पवन पुत्र महेन्दर जाति गूजर निवासी टिहली तहसील तिजारा को वली सरपरस्त बनाया जाकर दावा पेश किया जा रहा है अन्य कोई

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर

शिवानी – वादीया बनाम हरकिशान वगै. – प्रतिवादीगण

 दावा

पक्षकार नाबालिग एंव फतरूल अक्ल नही है ।

2– यह है कि विवादित आराजी खसरा नबरान 32/0.39, 33/0.39, 231/0.42, 237/0.65, 245/0.10, 26/0.22, 28/0.08, 29/0.07, 30/0.03, 31/0.02, 85/0.09, 78/0.48, 565/1.88, 91/0.30, 52/0.30, 235/0.06, 236/0.09, 322/0.38, 230/0.15, 1/0.03, 10/0.25, 118/0.48, 154/1.00, 175/0.65, 176/1.41, 176/375/0.04, 176/376/0.05, 241/0.09, 214/0.20, 92/0.24, 82/0.75, 83/0.72, 93/0.36, 95/0.41, 401/0/69, /0.04, 402/69/0.08, 36/0.54, 100/0.26, 101/0.09, 102/0.19, 159/0.03, 160/0.08, 177/0.41, 178/043, 220/0.03, 259/0.13, 260/0.06, 261/0.1564/0.72, 65/0.33, 66/0.24 103/0.60, बाके ग्राम सेमला खुर्द उपतहसील जालूकी तहसील नगर स्थित है सबूत में नकल जमाबंदी किता 17 संवत 2074 से 2077 पेश है ।

3– यह है कि वाद विभाजन के लिये है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने की वजह से तहसीलदार नगर को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है व उपतहसील जालूकी कार्यालय सब रजिस्ट्रार जालूकी के क्षेत्राधिकार के सभी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन संबंधित कार्य किया जाता है इसलिए उन्हें फोरमल प्रतिवादी बनाया गया है अन्यथा उसके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है ।

4– यह है कि प्रतिवादी नं. 1 हरकिशान के परिवार का सजरा निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

हरिकिशान प्रतिवादी सं. 1

राजवीर — सुरेश (फौत) — शिवानी पुत्री (वादीया)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

5– यह है कि प्रतिवादी नं. 1 हरकिशान [illegible] जिनका नाम क्रमश: राजवीर व सुरेश था उनमें से सुरेश फौत हो चुका है सुरेश की एकमात्र वारिस वादीया (शिवानी) है वादीया शिवानी के पिता के फौत हो जाने के बाद वादीया की माँ दूसरी जगह खानादाज हो गई थी । उसके बाद शिवानी अपने मामा

कुमार

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर

शिवानी - वादनी बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

दावा

पवन पुत्र महेन्दर जाति गुर्जर निवासी टिहली तहसील तिजारा जिला खैरथल के संरक्षण में रह रही है इसलिए वाद मे उसके मामा पवन को उसका वली व सरपरस्त बनाते हुये दावा पेश किया जा रहा है।

6- यह है कि विवादित आराजी वादीया व वादीया के दादा हरकिशन की पैतृक आराजी है जिसमे वादीया का जन्म से ही 1/3 हिस्सा बनता है, इस वाद मे वादीया शिवानी अपने दादा हरकिशन के हिस्से में से बटवारा व डिक्लेरेशन चाहती है अन्य पक्षकारान के हिस्से से कोई रिलीफ नही चाही गई है। बल्कि दावा विभाजन का होने की वजह से सहकाश्तकार होने की वजह से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गई है।

7- यह है कि वउदीशा का दादा हरकिशन अपने हिस्से की आराजी को बहुत जल्दी ही रहन, बय, मुन्तकिल करने के मूड में है व वादीया को अपने खातेदारी के हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहता है इसलिए श्रीमानजी से नम्र निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 हरकिशन के हिस्से मे से वादीया को 1/3 हरकिशन के हिस्से मे से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर अलग-अलग कुरे बनाये जाकर खातेदार घोषित किया जाकर अलग ~~खाता नम्बर~~ खाता व लगान कायम किया जावे व वादीया के 1/3 हिस्से का कब्जा दिलाया जावे। इस बाबत वाद पेश है।

8- यह है कि जब वादीया अपने हिस्से की आराजी पर अपने मामा के साथ फसल बोने के लिए आई तो वहा पर दिनांक 13-11-2024 को प्रतिवादी सं. 1 हरकिशन वहा आया व हरकिशन ने स्पष्ट धमकी दी कि मैं तुझे इस आराजी में से कुछ भी नही दूंगा, व मैं तुम्हें इससे [illegible] कर दूंगा, व आराजी मुत0 को रहन, बय, मुन्तकिल कर दूंगा व राजवीर के लड़[illegible] के नाम पूरी आराजी का बयनामा करा दूंगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 हरकिशन अपनी उक्त धमकी व इरादे में कामयाब हो गया तो वादीया को सख्त तकलीफ होगी, नुकसान अजीम होगा जिसकी पूर्ती जरे नकद से नही हो सकेगी और वादीया अपने जायज हकों से वंचित रह जावेगी। ऐसी सूरत में वादीया प्रतिवादीगण को जरिये

कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर (डीग)

सिवामी- वादीया बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

दावा

डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद कराने की अधिकारिणी है।

9- यह है कि बिनाय मुखासमत दिनांक 13-11-2024 को प्रतिवादी अव्वल द्वारा आराजी मुत0 को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन, बय, मुन्तकिल करने की धमकी बाके ग्राम सेमला खुर्द तहसील नगर में देने से क्षेत्राधिकारी अदालत हाजा पैदा हुई जिसे श्रवण करने के अधिकार अदालत श्रीमान को समाहित हासिल है। दावा अन्दर म्याद पेश है।

10- यह है कि दावा बाबत उद्घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु है जिस पर कोर्ट फीस व तलबाना नियमानुसार चस्पा है।

11- यह है कि दावा वादीया निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

अ- कि हाल आराजी खसरा नंबर 32/0.39, 33/0.39, 231/0.42, 237/0.65, 245/0.10, 26/0.22, 28/0.08, 29/0.07, 30/0.03, 31/0.02, 85/0.09, 78/0.48, 565/1.88, 51/0.30, 52/0.30, 235/0.06, 236/0.09, 322/0.38, 230/0.15, 1/1.03, 10/0.25, 118/0.47, 154/1.00, 175/0.65, 176/1.41, 176/375/0.04, 176/376/0.05, 241/0.09, 214/0.20, 92/0.24, 82/0.75, 83/0.72, 93/0.36, 95/0.41, 401/69/0.04, 402/69/0.08, 36/0.54, 100/0.26, 101/0.09, 102/0.19, 159/0.03, 160/0.08, 177/0.41, 178/0.43, 220/0.03, 259/0.13, 260/0.06, 261/0.15, 64/0.72, 65/0.33, 66/0.24, 103/0.60, बाके ग्राम सेमला खुर्द तहसील नगर जिला डीग पर प्रतिवादी सं. 1 हरकिशन के हिस्सा में से वादीया को 1/3 हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे।

ब- कि उक्तानुसार विभाजन कर ... अच्छी व बुरी में से बुरी के अलग-अलग करे का ... अलग-अलग ... व अलग लगान कायम की जावे, एवं वादीया को कब्जा दिलाया जावे।

स- कि प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वो जब तक पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउंड बटवारा नहीं हो जाता पक्षकारों में से हरकिशन अपने हिस्से को

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान ए.सी.ई.एम. साहब नगर

शिवानी - वादीया बनाम हरकिशन वगै. - प्रतिवादीगण

दावा

कही रहन, बय, मुन्तकिल नही करें, व वादीया को आराजी मुत0 से बेदखल नही करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें ऐसा कोई कार्य नही करें जिससे हकूक वादीया जायल हो ।

द- कि खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

य- कि दीगर दादरसी जो बहक वादीया हो प्रदान की जावे ।

प्रार्थीया

पवन कुमार

शिवानी पुत्री सुरेश {मृतक} माता कृष्णा पत्नि सुरेश {मृतक} जाति म गूजर निवासी सेमला खुर्द तहसील नगर उपतहसील जालूकी - नाबालिग बली सरपरस्त मामा स्वंय पवन पुत्र महेन्दर जाति गूजर निवासी टिहली तहसील तिजारा जिला खेरथल {राज.

सत्यापन

मै कि वादीया अर्जी दावा की मद सं. 1 लगायत 11 मयउपमद अ, ब, स, द, य, को अपनी स्वंय की जानकारी एंव अपने कानूनी सलाहकार की सलाह से सही एंव सत्य होना स्वीकार कर सत्यापित करती हूं । मुकाम- नगर तारीख 18-11-2024

पवन कुमार

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि दावा के प्रत्येक पृष्ठ पर अदालत का नाम, दावा का उनवान एंव पृष्ठांकन अंकित किया है द्वितीय प्रति संलग्न है विपक्षी पार्टी को दी जाने वाली प्रति अदालत में पेश की जा रही प्रतिलिपि समान है ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

पवन कुमार

Scanned with CamScanner

पदम vs इन्द्रा दावा 12/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/12/24	पत्रावली आज वादी के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय से तलब की गई। अवलोकन किया गया। वादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि दोनो पक्षकारो में पंचो द्वारा आपस राजीनामा करा दिया है इस वजह से प्रार्थी अपना मुकदमा खारिज कराना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद नं. 12/24 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गाप्रसाद मीना) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज०
23/12/24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय श्री पहलू बनाम आसू वगै0 मुकदमा: 212 आर0टी0एक्ट0	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुवें।
22.04.2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री पहलू पुत्र मवासी जाति मेव निवासी ग्राम आलमशाह तहसील नगर, जिला डीग ने अपने अभिभाषक श्री जााकिर हुसैन एड0 के साथ उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस बाबत जारी करने स्थगन आदेश सुनी गई। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का होना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे आर0एन0पी0 तक आर0ख0नं0 895/0.24, 896/0.13, 897/0.12, 899/0.10, 900/0.11 बाके ग्राम आलमशाह तहसील नगर पर मोका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश को जारी रहने में कोई भी आपत्ति हो तो न्यायालय में दिनांक 20.05.2024 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) नगर (डीग) राज0	

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	[illegible] प्रा. पत्र 212 RTAct हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 11/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/24	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तामील में तलब की गई। अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रकरण सं. 12/24 को दोनो पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से निरस्त/खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्र०पत्र सं. 11/24 को इसी स्तर पर निरस्त/खारिज किया जाता है। पत्रावली ईसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीणा) **सहायक कलक्टर** **(फास्ट ट्रैक)** **नगर (डीग) राज०**	[illegible] 23/12/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2025.11.03 14:01:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner